स्वैच्छिक दिशा–निर्देश

अधिकारों के उत्तरदायी अभिशासन के लिए

खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय संदर्भों में भूमि, मत्स्य और वनसंपदा के अधिकार

यह पुस्तक, अधिकारों के उत्तरदायी अभिशासन के लिए– खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय सन्दर्भों में भूमि, मत्स्य और वन सम्पदा के अधिकारों के स्वैच्छिक दिशा निर्देश का अनुवाद है। यह स्वैच्छिक दिशा निर्देश विश्व खाद्य सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित बहुपक्षीय समक्षौतों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान तथा दानदाता संस्थाएं शामिल रही हैं। इन सभी संगठनों ने विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के माध्यम से मई 2012 में इस दस्तावेज का समर्थन किया है।

एकता परिषद

CFS
Committee on World Food Security

स्वैच्छिक दिशा–निर्देश

अधिकारों के उत्तरदायी अभिशासन के लिए

खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय संदर्भों में भूमि, मत्स्य और वनसंपदा के अधिकार

समझौते के तहत प्रकाशित
खाद्य एवं कृषि संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ)
तथा
एकता परिषद

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्यान्न एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी यह स्वैच्छिक दिशा–निर्देश, किसी भी देश, राज्यों, शहरी निकायों तथा अन्य भौगोलिक सीमाओं के विकास की अवस्था अथवा वैधानिक परिस्थितयों के संदर्भ विशेष में लागू नहीं होता।

सर्वाधिकार सुरक्षित। खाद्यान्न एवं कृषि संगठन (FAO) इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के प्रकाशन व प्रसारण को प्रोत्साहित करता है। निवेदन के आधार पर इस दस्तावेज के निःशुल्क व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन शैक्षणिक, पेशेवर अथवा बिक्री के लिए प्रकाशन हेतु, शुल्क लेकर अनुमति दी जा सकती है।

पूर्वप्रकाशन, वितरण अथवा प्रसार के लिए अथवा संबंधित प्रश्नों के लिए संपर्क करें।

खाद्यान्न एवं कृषि संगठन (FAO)
प्रमुख, प्रकाशन व सहयोग विभाग
शोध एवं विस्तार निकाय
वियाली दिली तिरमी डी काराकाल्ला
00153 रोम इटली

© Ekta Parishad, 2015 (Hindi translation)

© FAO, 2012 (English edition)

अनुवादः
रमेश शर्मा

प्रकाशकः
एकता परिषद
2/3-ए द्वितीय तल, जंगपुरा-ए
नई दिल्ली-110014
दूरभाषः (011) 24373998, 09993592424
ektaparishad@gmail.com

मुद्रणः
सिस्टम्स विज़न
systemsvision@gmail.com

(निजी वितरण के लिए)

यह दस्तावेज़ मूल रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) के द्वारा अंग्रेजी में Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। इसका हिंदी अनुवाद एकता परिषद के द्वारा किया गया है। भाषा संबंधी किसी भी विसंगतियों की दशा में मूल अंग्रेजी भाषा का अर्थ मान्य होगा।

विषय सूची

भूमिका v

1 प्रस्तावना 1

1. उद्देश्य 1
2. प्रकृति और कार्यक्षेत्र 2

2 सामान्य सिद्धांत 3

3. अधिकारों के उत्तरदायी अभिशासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत 3
   3अ सामान्य सिद्धांत 3
   3ब क्रियान्वयन के सिद्धांत 4
4. अभिशासन के अधिकार और दायित्व 5
5. स्वामित्व से संबंधित वैधानिक, नीतिगत तथा संस्थागत ढांचा 7
6. सेवाओं का प्रतिपादन 9

3 संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों तथा दायित्वों की वैधानिक मान्यता 11

7. सुरक्षात्मक प्रावधान 11
8. सामुदायिक भूमि मत्स्य तथा वन संपदा 12
9. आदिवासी तथा अन्य समुदायों के रुढ़िजन्य अधिकारों की व्यवस्था 14
10. अनौपचारिक स्वामित्व 15

4 स्वामित्व के अधिकारों और दायित्वों में परिवर्तन व हस्तांतरण 17

11. बाजार 17
12. निवेश 18
13. भूमि समेकन तथा अन्य सुधारों की प्रक्रियायें 21
14. स्वामित्व के अधिकारों की बहाली 22
15. पुनर्वितरणात्मक सुधार 23
16. अधिग्रहण और मुआवज़ा 25

5 स्वामित्व के अधिकारों का प्रशासन 27

17. स्वामित्व के अधिकारों का लेखांकन 27
18. मूल्यांकन 28
19. कर–निर्धारण 29
20. विनियमित स्थानिक योजना 30
21. स्वामित्व के अधिकार पर विवादों का समाधान 31
22. सीमाओं के विवाद और मामले 32

6 जलवायु परिवर्तन तथा आपदा के प्रति अनुक्रिया 33

23. जलवायु परिवर्तन 33
24. प्राकृतिक आपदा 34
25. भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के स्वामित्व के अधिकारों के संबंध में विवाद 35

7 प्रोत्साहन, क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन 39

भूमिका

इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों का उद्देश्य, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु भूमि, मत्स्य और वनसंपदा के अधिकारों के अभिशासन के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग है।

इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के द्वारा गरीबी और भूख उन्मूलन के राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों को सहयोग करना है। यह दीर्घकालिक विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। जिसके माध्यम से भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के समान स्वामित्व के अधिकारों को विकास के प्रमुख आधार के रूप में स्थापित किया गया है।

गरीबी और भूख–उन्मूलन तथा पर्यावरण का दीर्घकालिक उपयोग मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों अथवा समुदायों के कितने अधिक अधिकार भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के संसाधनों पर है, और उन अधिकारों का कितना उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश लोगों का जीविकोपार्जन और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का जीविकोपार्जन, मूलतः इन संसाधनों के अधिकारों और स्वामित्व पर निर्भर करता है। यह संसाधन ही उनके आर्थिक विकास, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों का आधार तथा भोजन व आवास का मुख्य स्रोत है।

यह महत्वपूर्ण है कि भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के स्वामित्व का जवाबदेह अभिशासन, अपरिहार्य रूप से नैसर्गिक संसाधनों जैसे जल तथा खनिज के प्रबंधन और उनके अधिकारों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय संदर्भों में इन प्राकृतिक संसाधनों के अभिशासन के तरीकों तथा प्रारूपों की स्थापना के लिए राज्य, इन स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों का परिस्थितओं के अनुरूप क्रियान्वयन कर सकता है।

भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अभिशासन का निर्धारण व नियंत्रण, समाज के माध्यम से होना चाहिए। अभिशासन के दायरे में इन संसाधनों के उपयोग की अवधि, परिस्थितयों तथा संबंधित पक्षों का निर्धारण भी किया जाना चाहिए जो पद्धतियों, नीतियों या कानूनों के रूप में अथवा अलिखित सामाजिक प्रथाओं के रूप में भी हो सकता है।

वैश्विक तथा स्थानीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने की वजह से खाद्यान्न सुरक्षा, पर्यावरण ह्रास और जलवायु परिवर्तन के चलते भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस संसाधनों पर अपर्याप्त तथा असुरक्षित अधिकारों के कारण संसाधनहीनता अथवा वंचना, भूख और गरीबी में बढ़ोत्तरी की वजह से संसाधनों पर प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारों के नये विवाद भी बढ़ रहे हैं।

भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के अधिकार, उपयोग तथा दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए आज एक जवाबदेह अभिशासन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग इन अधिकारों को कैसे प्राप्त करेंगे और उनके दायित्व क्या होंगे। अधिकांश समस्यायें एक कमजोर अभिशासन की वजह से ही उत्पन्न होता है। अभिशासन की गुणवत्ता बढ़ाकर ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। एक कमजोर अभिशासन के कारण सामाजिक स्थायित्व, संतुलित पर्यावरण उपयोग तथा आर्थिक विकास के लिए निवेश प्रभावित होता है। भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के स्वामित्व के अधिकार सुनिश्चित करके ही भूख, गरीबी और आश्रय जैसे महत्वूपर्ण मुद्दों का समाधान करते हुए लोगों का जीवन स्तर ठीक किया जा सकता है। कमजोर अभिशासन के चलते हिंसात्मक संघर्ष बढ़ सकता है जो लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। संसाधनों के स्वामित्व के लिए उत्तरदायी अभिशासन, एक दीर्घकालिक सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है– जिसकी मदद से गरीबी उन्मूलन, खाद्यान्न सुरक्षा तथा जवाबदेह वित्तीय निवेश के व्यापक उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है।

सभी वर्गों के हितों को देखते हुए, खाद्य व कृषि संगठन (FAO) और संबंधित सहयोगियों ने इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश तथा जवाबदेह अभिशासन के दस्तावेज को विकसित करने का दायित्व लिया। इस दस्तावेज का आधार, राष्ट्रीय संदर्भों में खाद्यान्न सुरक्षा, पर्याप्त भोजन अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु जारी स्वैच्छिक दिशा–निर्देश है, (भोजन के अधिकार हेतु स्वैच्छिक दिशा निर्देश) जो नवम्बर वर्ष 2004 में खाद्य एवं कृषि संगठन के 27वें सत्र में सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया। बाद में यही दस्तावेज वर्ष 2006 में आयोजित ग्रामीण विकास व कृषि सुधारों के वैश्विक सम्मेलन (ICARRD) में सदस्य देशों द्वारा पुनः स्वीकृत तथा मान्य किया गया।

अक्टूबर 2010 में विश्व खाद्यान्न सुरक्षा समिति (CFS) के 36वें सत्र में इस प्रस्तावित दस्तावेज को समावेशी प्रक्रिया के तहत विकसित करने तथा एक खुला कार्यकारी समूह गठित करने का निर्णय लिया गया ताकि स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों का दस्तावेज तैयार किया जा सके।

यह स्वैच्छिक दिशा निर्देश, विश्व खाद्यान्न व कृषि संगठन (FAO) द्वारा प्रतिपादित तथा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों व जवाबदेह प्रक्रियाओं पर आधारित है जैसे– भोजन के अधिकार के लिए स्वैच्छिक दिशा निर्देश; जवाबदेह मत्स्य पालन के लिए आचार संहिता; कीटनाशकों के उपयोग व वितरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता; रोपित वनों के लिए जवाबदेह प्रबंधन और स्वैच्छिक दिशा निर्देश; वनों के आग के प्रबंधन हेतु स्वैच्छिक दिशा निर्देश आदि। यह सभी दस्तावेज़ नीतियों, कानूनों, पद्धतियों, रणनीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण हैं। इस निर्धारण की प्रक्रिया में अन्य सम्पूरक दिशा–निर्देशों का उपयोग तकनीकी मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है। साथ ही इनका उपयोग प्रशिक्षण, जनपैरवी तथा क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देशों के लिए भी किया जा सकता है।

इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश को विश्व खाद्यान्न सुरक्षा समिति (CFS) के 11 मई 2012 को आयोजित 38वें विशेष सत्र में अनुमोदित किया गया।

इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश को खुले कार्यकारी समूह के माध्यम से जून, जुलाई, अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 में विकसित किया गया है। यह प्रक्रिया वर्ष 2009–2010 में विभिन्न स्तरों के खुले सम्मेलनों के रूप में आयोजित की गई। क्षेत्रीय सम्मेलन ब्राजील, बुरकीनाफासो, इथोपिया, जार्डन, नामीबिया, पनामा, रोमानिया, रशियन फेडरेशन, सामोआ तथा वियतनाम में आयोजित किए गए। इन क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से 133 देशों के 700 लोगों के मतों को शामिल किया गया जिनमें स्वैच्छिक संगठन, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा शैक्षणिक संकायों से जुड़े व्यक्ति व विशेषज्ञ शामिल थे। इस बीच चार सम्मेलनों का आयोजन विशेष रूप से स्वैच्छिक संगठनों के लिए किया– अफ्रीका में माली, एशिया में मलेशिया, यूरोप व मध्य व पश्चिम एशिया के लिए इटली और लैटिन अमरीका के लिए ब्राजील, जिसके माध्यम से 70 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने अपना मत दिया। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों द्वारा आयोजित सम्मेलनों के माध्यम से 21 देशों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपने मत रखे। इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक संवाद के जरिये भी सुझाव आमंत्रित किये गए। इस दस्तावेज पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों, स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक जगत आदि के माध्यम से पूरे विश्व से सुझाव और मत स्वीकार किए गए।

यह स्वैच्छिक दिशा–निर्देश, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDG) और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मानकों तथा प्रस्तावों के अनुरूप मानव अधिकारो और स्वामित्व के अधिकारों से सन्दर्भित है। इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों को दायित्वों तथा स्वैच्छिक वचनवद्धता के रूप में स्वीकार करते हुए समीक्षागत सुधार के लिए इसके उपयोग को हम प्रोत्साहित करते हैं।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. उद्देश्य

1.1 इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों का उद्देश्य भूमि*, मत्स्य और वनसंपदा के अधिकारों के अभिशासन को मजबूत बनाना है। इसके अनुसरण से सर्वसमाज और विशेष रूप से वंचित और सीमान्त लोगों के दीर्घकालिक सामाजिक–आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, आवासीय सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व, दीर्घकालिक जीविकोपार्जन, गरीबी उन्मूलन, पर्याप्त भोजन के अधिकार के उन्नतिशील प्राप्ति की ओर अग्रसर होना अपेक्षित है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों संधियों और प्रतिज्ञापत्रों के अनुसार इस स्वैच्छिक दिशानिर्देश का अनुपालन करते हुए राज्य की भूमिका और दायित्व–समस्त कार्यक्रमों, नीतियों और तकनीकी सहायता को प्रगतिशील बनाना है।

1.2 इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के माध्यम से

1 अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और प्रतिज्ञापत्रों के अनुरूप, अभिशासन को प्रगतिशील बनाते हुए भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के प्रबंधन, नियंत्रण और उपभोग के अधिकार को स्थापित करना है।

2 इन संसाधनों के स्वामित्व के सन्दर्भों में समस्त अधिकारों के अनुरूप वैधानिक, नीतिगत तथा ढांचागत क्षेत्रों में सुधार करना है।

3 अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी तथा सुचारू तंत्र की स्थापना करना है।

4 अधिकारों के उत्तरदायी अभिशासन के लिए वैधानिक अभिकरणों, स्थानीय प्रशासन, लघु व सीमान्त कृषकों के संगठनों, मत्स्य–वन और चारा उत्पादकों,

* भूमि अधिकारों की कोई अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त परिभाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संदर्भों के अनुरूप इस परिभाषित किया जाता है।

आदिवासी व अन्य समुदायों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी क्षेत्रों, शैक्षणिक व शोध संस्थानों, समस्त संबंधित लोगों तथा प्रशासन तंत्र की क्षमता का विकास करना और उसे मजबूत बनाना है।

2. प्रकृति और कार्यक्षेत्र

2.1 यह स्वैच्छिक दिशा–निर्देश है।

2.2 इन स्वैच्छिक दिशा–निर्देश को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप राज्य के दायित्वों के संदर्भों में परिभाषित किया जा सकता है। यह प्रगतिशील अभिशासन को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के अधिकारों का सम्पूरक तंत्र है। यह दिशा–निर्देश राज्यों के अधिकारों को नियंत्रित अथवा उनका उल्लंघन नहीं करता है।

2.3 अधिकारों के अभिशासन को मजबूत तथा प्रभावी बनाने के लिए यह राज्य, प्रशासनिक तंत्र, न्यायिक अभिकरणों, स्थानीय प्रशासन तंत्र, लघु व सीमान्त किसान संगठनों, मत्स्य वन और चारा उत्पादकों, आदिवासी तथा अन्य समुदायों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी क्षेत्रों, शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों और समस्त संबंधित लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

2.4 इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश का कार्यक्षेत्र वैश्विक है। राष्ट्रीय संदर्भों के अनुरूप इसे आर्थिक विकास की किसी भी अवस्था में, किसी भी अभिशासन व्यवस्था में लोगों के सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक, संयुक्त तथा पारंपरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

2.5 इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश को राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था व निकायों के अनुरुप लागू अथवा पुर्नपरिभाषित किया जा सकता है।

अध्याय 2

सामान्य सिद्धांत

यह भाग भूमि, मत्स्य और वनसंपदा के अधिकारों तथा दायित्वों के अभिशासन के लिए नीतियों, वैधानिक प्रावधानों तथा संस्थागत प्रारूपों और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। राज्यों के अभिशासन का दायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रावधानों के अनुरूप स्वामित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

3. अधिकारों के उत्तरदायी अभिशासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

3 अ सामान्य सिद्धांत

3.1 राज्यों का दायित्व है कि –

1 प्रत्येक अधिकार संपन्न नागरिक और उनके अधिकारों की स्वीकार्यता और सम्मान सुनिश्चित करे। उनके प्रदत्त और परंपरागत अधिकारों की पहचान करे तथा तत्संबंधी अधिकारों और उत्तरदायित्वों के समरूप अपने दायित्वों का वहन करें।

2 अधिकारों के हनन अथवा अलगाव से रक्षा के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में बलपूर्वक बेदखली तथा अधिकारों के एकतरफा हनन को रोकने के लिए जवाबदेही अभिशासन के प्रावधान स्थापित करे।

3 प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसके लिए राज्य द्वारा दी गई सेवाओं तक सभी के पहुंच तथा उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यथोचित कदम भी उठाये।

4 अधिकारों के हनन की दशा में न्यायतंत्र तक पहुंच के लिए जवाबदेह अभिशासन स्थापित करे। न्यायिक अभिकरणों और अन्य उपायों के जरिये विवादों के निपटारे करे। न्यायिक तंत्र तक पहुंच, उसके उपयोग, दिये गये

निर्णय तथा उसके अनुपालन के लिए कार्य करे। जनहित में अधिग्रहित संसाधनों के सापेक्ष, त्वरित व न्यायपूर्ण मुआवज़ा सुनिश्चित करे।

5 संसाधनों के विवाद, हिंसक संघर्ष तथा भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था कायम करे। हिंसक विवादों से बचाव के लिए पूर्व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ ही हरेक स्तर पर सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों से मुक्त तंत्र की स्थापना करे।

3.2 राज्य शासन के अतिरिक्त अन्य निकायों तथा व्यवसायिक उद्यमों का दायित्व है कि वे मानव अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों में लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। व्यवसायिक उद्यमों का दायित्व यह भी है कि विवादों से बचाव के लिए सभी संभावित स्तर पर संवाद स्थापित करे। वे अपने व्यवसायों से होने वाले मानव अधिकारों के खतरों और उनके अधिकारों के उल्लंघनों को कम करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन तंत्र की स्थापना करें। इस दृष्टिकोण से वे गैर न्यायिक तंत्र स्थापित करने की दिशा में प्रत्येक स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र बनाये ताकि उद्यमों से होने वाले अधिकारों के संभावित हनन अथवा उसके विपरीत प्रभावों को यथासंभव रोका जा सके। वास्तव में, व्यवसायिक उद्यमों का दायित्व है कि वे संसाधानों के अधिकारों के खतरों और मानव अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और उसके दूरगामी प्रभावों से लोगों को आगाह करें। इस संदर्भ में राज्य का दायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरुप न्यायिक तंत्र को स्थापित करते हुए व्यवसायिक उद्यमों के विपरीत प्रभावों से पीड़ितों को न्याय उपलब्ध कराना है। बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए इस दशा में मूल राज्य तथा प्रभावित राज्य दोनों की जवाबदेही, मानव अधिकारों के उल्लंघनों को रोकने की है। राज्य पोषित उद्यमों के संदर्भ में स्वयं राज्यों का दायित्व है कि संबंधित राज्य निकायों के माध्यम से संसाधनों के अधिकारों तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन को दूर करें।

3 ब क्रियान्वयन के सिद्धांत

क्रियान्वयन के सिद्धांतों की प्रमुख भूमिका भूमि, मत्स्य तथा वन संसाधनों के अधिकारों को स्थापित करने हेतु सहयोग करना है।

1. **मानव अधिकार व सम्मानः** सर्वसमाज के परंपरागत, वंशानुगत तथा नैंसर्गिक अधिकारों की मान्यता और सम्मान किया जाए।

2. **भेदभाव रहितः** कानूनों और नीतियों के अनुपालन और लाभ से किसी को वंचित नहीं रखा जाए।

3. **समानता और न्यायः** राष्ट्रीय संदर्भों में वंचितों, परंपरागत रूप से वंचितो व सीमान्त वर्गों, युवाओं, महिलाओं व पुरुषों के भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा पर समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यक्ति तथा समुदाय के मान्यता के अनुरुप ही समानता और न्याय सुनिश्चित किया जाए।

4. **लैंगिक समानताः** महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए लैंगिक–समानता का सम्मान किया जाए। राज्य का विशेष दायित्व है कि भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा पर सामान्य तथा वैवाहिक होने की परिस्थितयों में महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

5. **समावेशी तथा टिकाऊ व्यवस्थाः** प्राकृतिक संसाधनों तथा उसके उपयोग के परस्पर सामाजिक संबंधों का सम्मान करते हुए दीर्घकालिक और समावेशी प्रशासन तंत्र की स्थापना सुनिश्चित की जाए।

6. **सहमति और भागीदारीः** निर्णयात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय, मुक्त, प्रभावी, अर्थपूर्ण और पूर्व सूचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संसाधनों के अधिकारों के संदर्भ में नागरिकों के हितों और निर्णयों का सम्मान किया जाए।

7. **कानून का शासनः** राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तथा संधियों और सम्मेलनों के प्रस्तावों के अनुसार इसे जनभाषा में व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित करते हुए निष्पक्ष न्यायिक निर्णयों को स्थापित किया जाए।

8. **पारदर्शिताः** सर्वजन तक पहुंचने के दृष्टिकोण से स्पष्ट परिभाषित, व्यापक रूप से प्रसारित, सभी भाषाओं में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नीतियों, कानूनों और प्रक्रियाओं को जन–साधारण तक पहुँचाया जाये।

9. **जवाबदेहीः** कानून के शासन के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत, जन–निकायों तथा गैर सरकारी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

10. **टिकाऊ सुधारः** राज्यपोषित तंत्रों के निगरानी तथा सुधार के दृष्टिकोण से तथ्यपरक कार्यक्रम और जवाबदेह अभिशासन की स्थापना की जाए।

4. अभिशासन के अधिकार और दायित्व

4.1 राज्य का प्रथम दायित्व होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, आवास की सुरक्षा, दीर्घकालिक जीविकोपार्जन, गरीबी उन्मूलन, खाद्य

सुरक्षा के व्यापक उद्देश्यों के साथ मानव अधिकारों के दृष्टिगत भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के प्रति उत्तरदायी अभिशासन की स्थापना हेतु प्रयास करें।

2

4.2 राज्य का दायित्व होना चाहिए कि संसाधनों के स्वामित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करें।

4.3 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वामित्व के कोई भी अधिकार, राज्य अथवा निज़ी उद्यमों के लिए असीमित नहीं है। स्वामित्व के अधिकारों की मान्यता, जनहित के उद्देश्य से दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए सुनिश्चित किये जाने चाहिए। इसका निर्धारण, राज्य के द्वारा मानव अधिकारों के लिए उल्लेखित दायित्वों तथा पर्यावरण सुरक्षा के मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यह भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के स्वामित्व के अधिकारों के दूरगामी व दीर्घकालिक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए।

4.4 राज्य का दायित्व है कि स्वामित्व के अधिकारों को वैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए। विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां कानून के दायरे सीमित हैं। इन परिस्थितयों में कानून और नीतियां भेदभाव रहित तथा लैंगिक समानता के आधार पर सुनिश्चित होने चाहिए, जो इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के आधार पर राज्य द्वारा निर्धारित और जनहित में व्यापक रूप से प्रसारित किये जाने चाहिए। यहां संसाधनों पर स्वामित्व के निर्धारण में राष्ट्रीय–अन्तर्राराष्ट्रीय कानूनों व प्रक्रियाओं का अनुपालन होना चाहिए ताकि लोगों के अधिकारों के हनन अथवा प्रताड़ना को रोका जा सके।

4.5 राज्य का दायित्व है कि निरंकुश तरीके से होने वाले विस्थापन के विरूद्ध उनके स्वामित्व के अधिकारों का पालन करते हुए लोगों की रक्षा सुनिश्चित किया जाए।

4.6 राज्य का दायित्व है कि आर्थिक संसाधनों अथवा जीविकोपार्जन के संसाधनों से अलगाव, न्यायिक अधिकार प्राप्ति से अलगाव तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तनों आदि से संबंधित भेदभाव को समाप्त किया जाए। साथ ही परंपरागत रूप से अथवा वसीयत में दिये गये स्वामित्व के अधिकारों को बगैर लैंगिक भेदभाव के सुनिश्चित किया जाए। राज्य इस भूमिका का निर्धारण राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों, प्रणालियों तथा स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों की भावना के अनुरूप सुनिश्चित करें।

4.7 राज्य का दायित्व है कि विशेष रूप से अपने अधिकारों को हासिल करने में अक्षम लोगों को बिना लैंगिक अथवा समाजिक–आर्थिक भेदभाव के, समान अवसर उपलब्ध किया जायें। साथ ही उन्हें स्वामित्व के अधिकारों के लिए न्यायिक

अभिकरणों, क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह संस्थानों तथा सेवा प्रदाय निकायों से जोड़ने का प्रयास भी किया जाए।

4.8 राज्य का दायित्व है कि लोगों को निश्चित तथा निर्धारित समय के भीतर प्रभावी, वहन करने योग्य, न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए जिसमें अपील के अधिकार तथा वैकल्पिक न्यायिक प्राधिकरणों नियमों के माध्यम से न्याय प्राप्ति के समान अवसर भी हों। न्याय प्राप्ति के परिस्थितयों में, विशेष रूप से मूल अवस्था अथवा परिस्थितियों की बहाली तथा क्षतिपूर्ति–हानिपूर्ति का निर्धारण निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। राज्य की भूमिका विशेष रूप से वंचितों के न्याय प्राप्ति के लिए इन संभावित उपायों का अनुपालन होना चाहिए।

4.9 राज्य का दायित्व है कि भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों के दृष्टिगत नीतियों व कानूनों के निर्धारण तथा अनुपालन में विशेषरूप से लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की है। राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्धारण, अनिवार्य तौर पर राज्य तथा नागरिक निकायों के माध्यम से ही होना चाहिए।

4.10 राज्य का दायित्व है कि भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों के दृष्टिगत, नीतियों व कानूनों के निर्धारण तथा अनुपालन में विशेष रूप से लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्धारण अनिवार्य तौर पर राज्य तथा नागरिक निकायों के माध्यम से ही होना चाहिए।

5. स्वामित्व से संबंधित वैधानिक, नीतिगत तथा संस्थागत ढांचा

5.1 राज्य के द्वारा भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा से संबंधित स्वामित्व के निर्धारण के लिए कानून, नीति और संस्थागत ढांचा के माध्यम से जवाबदेह अभिशासन स्थापित व सुनिश्चित करना चाहिए। संस्थागत अथवा प्रशासनिक ढांचा–न्यायिक अभिकरणों, जन सेवाओं, न्यायिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए।

5.2 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून, नीति तथा प्रशासनिक ढांचा मूलरूप से राष्ट्रीय व अन्तर्राराष्ट्रीय प्रस्तावों का अनुगामी हो।

5.3 राज्य के द्वारा कानून, नीति तथा प्रशासनिक ढांचे के निर्धारण में संसाधनों के रूढ़िजन्य अधिकारों को मान्यता तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक ढांचा मूलरूप से भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों के सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को प्रदर्शित व सम्मान

होना चाहिए। प्रशासनिक ढांचा इन संसाधनों के अन्तर्संबंधों को स्थापित करते हुए एकीकृत व्यवस्था व प्रशासन की स्थापना होना चाहिये।

5.4 राज्य द्वारा विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं/युवतियों के संसाधनों के स्वामित्व को सुनिश्चित करते हुए कानूनी और नीतिगत व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। राज्य, संसाधनों के स्वामित्व को समानता आधारित बनाने के लिए यथोचित न्यायिक सेवाओं व अन्य माध्यमों से महिलाओं को सक्षम बनाये।

5.5 राज्य के द्वारा नीतियों, कानूनों तथा प्रक्रियाओं के निर्धारण हेतु सभी संबंधित पक्षों को समान भागीदारी का अवसर मुहैया कराये ताकि क्रियान्वयन में भी सर्वपक्ष की भूमिका का निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए लैंगिक भेदभाव रहित प्रक्रियाओं, नीतियों व कानूनों को भाषा और भावना से भी प्रदर्शित होना चाहिए।

5.6 राज्य द्वारा, निर्धारित तंत्रों के अनुपालन के लिए सभी स्तरों पर अभिशासन की भूमिका तय किया किया जाना चाहिए। इस संबंध में सभी संबंधित निकायों की भूमिका और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। राज्य की भूमिका क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी निकायों, स्थानीय अभिशासन, आदिवासी समाज तथा अन्य लोगों के मध्य संवाद तंत्र स्थापित करने की भी होनी चाहिए।

5.7 राज्य के द्वारा कानूनों, नीतियों, संगठनात्मक ढांचों व क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी निकायों के निर्धारण में स्वैच्छिक संगठनों, निजी निकायों तथा शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.8 राज्य द्वारा नियमित रूप से नीतिगत, कानूनी तथा प्रशासनिक ढांचे की निगरानी तथा समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उन्हें प्रभावशाली व्यवस्था के रूप में कायम रखा जा सके। न्यायिक अभिकरणों तथा क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह निकायों का दायित्व है कि पारदर्शी जवाबदेह व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा समाज के प्रतिनिधियों से सतत संवाद कायम रहे, ताकि किसी भी परिवर्तन तथा उसके संभावित परिणामों की सूचना लोगों को दी जा सके।

5.9 राज्य को नीति व कानून में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन अथवा संदर्भों में परिवर्तन की जानकारी के दृष्टिगत, राष्ट्रीय सहमति अवश्य हासिल करना चाहिए। सहमति हासिल करने की दिशा में व्यापक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय संदर्भों को जनहित में प्रसारित किया जाना चाहिए।

6. सेवाओं का प्रतिपादन

6.1 राज्य के द्वारा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी निकायों के मानव, भौतिक, वित्तीय तथा अन्य क्षमताओं को प्रदाय के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही संबंधित निकायों को समयानुसार प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में प्रदाय तंत्र से जुड़े सभी संबंधित पक्षों को लैंगिक व सामाजिक समानता का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए।

6.2 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रियान्वयन की प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व प्रस्तावों तथा दायित्वों के अनुरूप हो। साथ ही यह दायित्व, क्षेत्रीय व ढांचागत स्तरों पर क्रियान्यवन के माध्यम से प्रदर्शित हो।

6.3 राज्य द्वारा जुल्म तथा भेदभाव रहित सुचारू व्यवस्था की स्थापना के लिए अधिकारों के उपयोग तथा विवादों के निपटारे का तंत्र बनाया जाना चाहिए। राज्य अनावश्यक कानूनी व प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करते हुए संसाधनों के स्वामित्व को सुनिश्चित करे। राज्य के द्वारा क्रियान्यवन के लिए जवाबदेह तंत्रों की समीक्षा व मूल्यांकन करते हुए यथासंभव सुधार का कार्य भी संपादित किया जाना चाहिए।

6.4 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायिक अभिकरण तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी तंत्र विशेष रूप से वंचित समाज के साथ ही सर्वजन तक भी पहुंचे। क्रियान्वयन का विशेष लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रथाओं का उपयोग किया जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शिका बनाई जाए ताकि विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से नीतियों व कानूनों का क्रियान्वयन हो सके। क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं का उद्देश्य, न्याय की गुणवत्ता को कायम रखने की होनी चाहिए। यह प्रत्येक स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाकर प्रत्येक पक्ष के अधिकारों व दायित्वों को परिभाषित किया जाना चाहिए।

6.5 राज्य के द्वारा ऐसी नीतियों, कानूनों की स्थापना होनी चाहिए जो सभी संबंधित पक्षों जैसे समाजसेवी संगठनों, निजी क्षेत्र, शैक्षिणक निकाय व सामान्य जन से संवाद करते हुए बनाई जाए। साथ ही यह राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए।

6.6 राज्य व संबंधित निकायों की भूमिका विशेष रूप से उन वंचित समाज तक पहुंचने की होनी चाहिए जो न्यायिक व प्रशासनिक तंत्र के दायरों से बाहर हो चुके हैं। इस दिशा में कानूनी मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, परा–कानूनी सहायक आदि के साथ सुदूर वंचित समाज तक पहुंचने के सभी संभावित प्रयास किया जाना चाहिए।

6.7 राज्य द्वारा विशेष रूप से क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह निकायों में सेवा व न्याय तथा सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। इन निकायों की समीक्षा इस आधार पर होना चाहिए कि, क्या वे निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, जन भावनाओं को पूरा कर पाए अथवा नहीं। इस समीक्षा की रपट सार्वजनिक रूप से प्रकाशित व प्रसारित की जानी चाहिए। इस संबंध में शिकायतकर्त्ताओं के सुझावों के अनुरूप सुधार की सतत प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

6.8 सघन व मूल्य आधारित क्रियान्वयन के उद्देश्य से निकायों की स्थापना व संचालन के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाना चाहिए। अर्धसरकारी व गैर सरकारी निकायों को भी दायरे में लाते हुए नैतिक मानदण्डों के उल्लंघन की दिशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

6.9 राज्य द्वारा क्रियान्वयन को प्रभावी व मूल्य आधारित बनाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक उपाय सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि अधिकारों के दुरुपयोग, विवादों की स्थिति में सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी से न्यायिक समीक्षा व निर्णय किया जा सके।

अध्याय 3

संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों तथा दायित्वों की वैधानिक मान्यता व निर्धारण

इस अध्याय में भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा पर आदिवासी समाज और अन्य संबंधित समुदायों के स्वामित्व के रुढ़िजन्य अधिकारों, उनके निर्धारण को राज्य तथा अभिशासन के दायरे में स्पष्ट किया गया है।

7. सुरक्षात्मक प्रावधान

7.1 राष्ट्रीय कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों का निर्धारण, विशेष रूप से अधिकारों का हनन अथवा अवमानना रोकने की दिशा में होना चाहिए। विशेष रूप से सुरक्षात्मक प्रावधान उन लोगों के हितों के लिए होना चाहिए जिनके स्वामित्व के अधिकार वर्तमान कानूनों के दायरों में परिभाषित अथवा स्पष्ट नहीं किये गये हैं। इसमें महिलाओं व विशेष रूप से वंचित समाज के परंपरागत तथा गैर मान्यता प्राप्त अधिकारों की रक्षा हेतु सुरक्षात्मक प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7.2 राज्य द्वारा विशेष तौर पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वामित्व के अधिकारों की मान्यता तथा निर्धारण की दिशा में राष्ट्रीय व अन्तर्राराष्ट्रीय कानूनों तथा प्रस्तावों में उल्लेखित दायित्वों का निर्धारण हो।

7.3 राज्य द्वारा स्वामित्व के अधिकारों की मान्यता की दिशा में प्रथम चरण उन सभी लोगों के अधिकारों का समावेश होना चाहिए जो दर्ज अथवा दर्ज नहीं है। इस समावेशी प्रक्रिया में विशेष रूप से आदिवासी समाज, वंचित समाज के रुढ़िजन्य अधिकारों की मान्यता प्रमुख रूप से होनी चाहिए।

7.4 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिला व पुरुष समान अधिकार से उन नये मान्यता प्राप्त स्वामित्व के अधिकारों को हासिल करें–जो कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से भी स्पष्ट हों। राज्य द्वारा यथासंभव–समुदाय, परिवार तथा

व्यक्तिगत स्तर पर स्वामित्व के अधिकारों को प्राथमिकता के आधार पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वैधानिक सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में स्वामित्व के अधिकारों का मानचित्रीकरण करते हुए पारदर्शी व प्रभावी व्यवस्था कायम किया जाना चाहिए।

7.5 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिनके स्वामित्व के अधिकारों की मान्यता दी जा रही है अथवा जिन्हें नये अधिकार दिये जा रहे है उन्हें अधिकारों व दायित्वों की पूरी जानकारी हो। इस दिशा में राज्य, सहयोग तंत्र भी स्थापित करे।

3

7.6 जिन परिस्थितियों में स्वामित्व के अधिकारों की मान्यता राज्य द्वारा संभव नहीं है, वहां राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व दायित्वों के हनन को रोकने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिए।

8. सामुदायिक भूमि मत्स्य तथा वन संपदा

8.1 राज्य द्वारा व्यापक सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप सामुदायिक भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के उपभोग व नियंत्रण को निर्धारित किया जाना चाहिए। राज्य यह सुनिश्चित करे कि इस दिशा में सभी निर्णय राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा दायित्वों के अनुरूप ही हो।

8.2 जहां राज्य, भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा का स्वामी अथवा नियंत्रक हो वहां व्यक्ति तथा समुदाय के रुढ़िजन्य अधिकारों को मान्यता देते हुए समुदाय के अधिकार सुरक्षित रखे जाने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप, स्वामित्व के अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित व प्रसारित किया जाना चाहिए जो–राष्ट्रीय व अन्तर्राराष्ट्रीय कानूनों व प्रस्तावों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8.3 राज्य द्वारा समुदाय द्वारा उपभोग की जा रही अथवा समुदायिक अधिकारों के अधीन आने वाले भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा में समाज के अधिकारों व प्रबंधन को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

8.4 भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के संदर्भ में राज्य द्वारा अद्यतन सूचनातंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। जिसमें विशेष रूप से इन संपदाओं की प्रशासनिक जवाबदेहियों व उनमें आदिवासी तथा संबंधित वंचित समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। जहां संभव हो, इन समाजों के संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों व निजी क्षेत्र की

उपस्थिति की जानकारियों को दर्ज करने का माध्यम भी स्थापित किया जाना चाहिए।

8.5 राज्य द्वारा यह भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि भूमि, मत्स्य तथा वन संसाधनों के कितने हिस्से पर संबंधित तथा निर्भर समाज का स्वामित्व रहेगा तथा कितने हिस्से पर किन शर्तों और समयावधि के लिए सरकारी व अर्धसरकारी उद्यमों अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।

8.6 राज्य पोषित भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के समान वितरण को सुनिशिचित करने के लिए राज्य द्वारा एक पारदर्शी नीति निर्धारित करते हुए इसे जनहित में प्रकाशित व प्रसारित किया जाना चाहिए। इसमें सभी पक्षों का समावेश किया जाना चाहिए। इस नीति का उद्देश्य एक प्रभावी पारदर्शी व जवाबदेह तंत्र की स्थापना होना चाहिए।

8.7 स्वामित्व के अधिकारों के जवाबदेह अभिशासन के लिए राज्य द्वारा एक ऐसी नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए जो व्यापक सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरुप हो। संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों के निर्धारण अथवा पुनर्निधारण में स्थानीय समुदाय के परंरागत अधिकारों को विशेष तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। इसके प्रत्येक पक्ष की भूमिका तथा भागीदारी निर्णयात्मक प्रक्रियाओं में अवश्य हो। राज्य, विशेषतौर से इस बात का ध्यान रखे कि इन संसाधनों पर निर्भर रहने वाले समाज के जीविकोपार्जन का हनन न हो।

8.8 राज्य द्वारा प्रतिपादित नीति में स्वामित्व के अधिकारों तथा अधिकार प्राप्त समुदायों का विस्तृत उल्लेख होना चाहिए। संसाधनों के निर्धारण में इन समुदायों के द्वारा रुढ़िगत रूप से उपभोग किये जा रहे अधिकारों को भी सुरक्षित रखते हुए भागीदारी व हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य द्वारा यह विशेष रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए कि भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा पर निर्भर समाज के अधिकारों को नये निर्धारणों में भी बनाये रखा जाए।

8.9 राज्य द्वारा स्वामित्व के अधिकारों के निर्धारण की दिशा में ऐसी प्रक्रियाओं को स्थापित करना चाहिए जो स्पष्ट उपयोगी और सर्वसाधरण के समझ में आने लायक हो। विशेषतौर पर आदिवासी तथा अन्य समाज के सामुदायिक व रुढ़िजन्य अधिकारों की मान्यता के संदर्भों में यह कायम रहे। सभी संभावित भाषाओं में इसका प्रकाशन व प्रसारण किया जाए। सभी नये व पूर्व स्थापित स्वामित्व के अधिकारों को एक संयुक्त निकाय में दर्ज किया जाए ताकि जन साधारण की समझ विकसित की जा सके।

8.10 राज्य द्वारा ऐसे सक्षम निकायों की स्थापना की जानी चाहिए जो पर्याप्त मानव, भौतिक, वित्तीय तथा अन्य क्षमताओं के आधार पर भूमि, मस्त्य तथा वनसंपदा के अधिकारों के संदर्भ में प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक सहयोग तंत्र मुहैया कराये।

8.11 राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों, कार्यक्रमों व निकायों का पारदर्शी मूल्यांकन तथा समीक्षा करते हुए निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इस समीक्षा में खाद्य–सुरक्षा तथा गरीबी–उन्मूलन के प्रभावों को विशेष रूप से महिला समाज के सन्दर्भ में रेखांकित किया जाना चाहिए।

3

9. आदिवासी तथा अन्य समुदायों के रुढ़िजन्य अधिकारों की व्यवस्था

9.1 भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा पर आदिवासी तथा अन्य समुदायों के रुढ़ीजन्य अधिकारों की व्यवस्था को राज्य तथा संबंधित निकाय द्वारा मान्यता दिया जाना चाहिए। यह मान्यता उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय और राजनैतिक मूल्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

9.2 भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा में रुढ़िजन्य अधिकारों की व्यवस्था तथा स्वशासन के माध्यम से इन संसाधनों के समतापूर्ण सुरक्षित और टिकाऊ प्रक्रियाओं के द्वारा राज्य के द्वारा आदिवासी व अन्य समुदायों को संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं, युवावर्ग, पुरुषों तथा अन्य सभी के प्रभावी भागीदारी से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो समुदाय के सदस्यों की क्षमता का विकास करते हुए रुढ़िजन्य अधिकारों की व्यवस्था के निर्णायात्मक प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

9.3 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा उठाये गये कदम राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और दायित्वों के अनुरुप हैं। आदिवासी समाज के परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा की गई सभी कार्यवाही, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन (प्रस्ताव 169), अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता प्रस्ताव और संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रतिपादन के परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए। राज्य के कार्यवाही की दिशा, आदिवासी समाज के मानव अधिकारों के प्रति उनके दायित्वों के अनुसार ही होनी चाहिए।

9.4 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी तथा अन्य समाज के संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व प्रस्तावों के अनुसार मान्यता दी गई है। इस आशय की सूचनायें सामान्यजन की भाषा में प्रकाशित प्रसारित की जानी चाहिए।

9.5 जहां आदिवासी तथा अन्य समाज के अधिकार उनके परंपरागत व वंशानुगत भूमि पर हो वहां राज्य की भूमिका, इसे मान्यता प्रदान करते हुए इस भूमि के सुरक्षा की होनी चाहिए। ऐसी भूमि से किसी भी प्रकार के विस्थापन को रोकना राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिए।

9.6 राज्य के द्वारा ऐसी नीतियों, कानूनों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को लागू किया जाना चाहिए जो आदिवासी तथा अन्य समुदायों के रुढ़िजन्य स्वामित्व को स्थापित करते हों। राज्य की भूमिका संवैधानिक व कानूनी सुधारों के माध्यम से विशेषतौर पर महिलाओं के उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जो सामाजिक कुरुतियों के चलते मान्यता प्राप्त नहीं है।

9.7 राज्य का दायित्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों पर आधारित भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के रुढ़िजन्य अधिकारों को मान्यता देने वाले नीतियों के लेखन की है। इस कार्य में आदिवासी तथा अन्य समाज की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9.8 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी तथा अन्य समुदायों के रुढ़िगत अधिकारों के अधीन भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा का गैर जवाबदेहपूर्ण उपयोग न हो। राज्य, इन संसाधनों के अधीन भौगोलिक क्षेत्र तथा उनमें समाज के अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करे। जहां यह दस्तावेज पूर्व से ही मौजूद है वहां राज्य द्वारा निजी और सामुदायिक अधिकारों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा और विवादों को हल किया जा सके।

10. अनौपचारिक स्वामित्व

10.1 जहां व जिन परिस्थितियों में भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा पर अनौपचारिक स्वामित्व हो वहां राज्य की भूमिका, इन अनौपचारिक स्वामित्व के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की होनी चाहिए। राज्य को ऐसी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए जो राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय सुधारों पर आधारित हों। इन नीतियों का निर्धारण, लैंगिक–संवदेनशीलता तथा भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में वृहत् स्तर पर होने वाले पलायन से उत्पन्न अनौपचारिक स्वामित्व को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

10.2 अनौपचारिक स्वामित्व की परिस्थितियों में क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त आवासीय सुविधा के अधिकार के दृष्टिगत राज्य द्वारा कदम उठाये जाने चाहिए।

10.3 अनौपचारिक स्वामित्व के निर्धारण व मान्यता की दशा में राज्य द्वारा विशेष रूप से कास्तकारों व मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक–संवेदनशीलता और भागीदारी के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में विशेष रूप से छोटे किसानों और उत्पादकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य द्वारा प्रक्रियाओं व निर्णयों को पारदर्शी व कानून सम्मत बनाने के लिए समुदायों को वैधानिक तथा व्यवसायिक सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

10.4 अनौपचारिक स्वामित्व को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर सभी संभावित कदम उठाये जाने चाहिए। विकास की आवश्यकताओं को स्पष्ट तथा कानून सम्मत बनाते हुए भूमि के उपयोग और विकास को कानूनी और प्रशासनिक मानकों के अनुरूप ही देखा जाना चाहिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

10.5 राज्य के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने, निर्णय प्रक्रिया की जवाबदेही और निष्पक्ष निर्णय तंत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए।

10.6 जहां अनौपचारिक स्वामित्व को मान्यता देना संभव नहीं हो वहां राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व दायित्वों के अनुरूप किसी भी प्रकार के बलपूर्वक बेदखली को रोकते हुए समुदाय के अधिकारों की रक्षा के दायित्व वहन किया जाना चाहिए।

अध्याय 4

स्वामित्व के अधिकारों और दायित्वों में परिवर्तन व हस्तांतरण

इस अध्याय के अन्तर्गत राज्य अथवा बाजार केन्द्रित ढांचागत–समायोजन, पुनर्वितरण–सुधारों, स्वामित्व हरण तथा पुनर्निमाण के परिप्रेक्ष्य में स्वामित्व के अधिकारों में परिवर्तन तथा हस्तांतरण की व्याख्या की गई है।

11. बाजार

11.1 अनुकूल परिस्थितियों में राज्य की भूमिका भूमि, मत्स्य तथा वन संपदाओं के स्वामित्व के अधिकारों में न्यायपूर्ण व पारदर्शी प्रक्रियाओं के द्वारा बाजार के लिए इन संसाधनों के उपयोग व स्वामित्व को पुर्नपरिभाषित करने की होनी चाहिए। इन परिस्थितियों में राज्य को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व दायित्वों के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। राज्य को विकास के उद्देश्यों को खतरे में डाले बिना भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा पर समुदाय के स्वामित्व के अधिकारों के राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना चाहिए।

11.2 राज्य की भूमिका, गरीबों की भागीदारी बढ़ाने वाले आर्थिक अवसरों के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मुताबिक भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के समानतापूर्ण उपयोग तथा अस्थिरता और विवादों को कम करते हुए परस्पर लाभकारी अवसरों के विस्तार और उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की होनी चाहिए। राज्य, संवेदनशील तथा जवाबदेह बाजार की स्थापना के लिए मदद करे किन्तु भूमि की सट्टेबाजी, अवैध हस्तांतरण से होने वाले सामुदायिक अधिकारों के हनन को रोके और उसके अवांछित प्रभावों से आदिवासी, वंचित तथा समुदाय की रक्षा के दायित्व का वहन करे। राज्य के द्वारा समुदाय के सामाजिक, सांस्कृति और पर्यावरणीय मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए जो कि सामान्यतः अनियंत्रित बाजार की दशा में संभव नहीं होता है। राज्य का दायित्व बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए अनुकूल नीतियों और कानूनों का निर्धारण व अनुपालन होना चाहिए।

11.3 गैर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करने तथा भेदभाव रहित व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य द्वारा नीतियों, कानूनों, नियंत्रण प्रणालियों व संस्थानों की स्थापना करते हुए पारदर्शी, उत्तरदायी तथा दक्ष बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य ऐसी प्रक्रियायें विकसित करे जिनसे बाजार द्वारा गरीबों और वंचितों को हतोत्साहित न किया जा सके।

11.4 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजार विनिमय से संबंधित हरेक सूचना पादर्शी रूप से जनहित में प्रकाशित हो, बशर्ते वह गोपनीयता की सीमाओं का उल्लंघन न करता हो। राज्य के द्वारा बाजार के विनिमय के विपरीत प्रभावों की भी निगरानी की जानी चाहिए।

11.5 राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए कि भूमि पंजीयन, स्वामित्व के अधिकारों व दायित्वों के सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अवैध हस्तांतरण को रोका जा सके।

11.6 राज्य के द्वारा भूमि के पारदर्शी पंजीयन की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पारिवारिक संबंधियों व अन्य के सहस्वामित्व के संरक्षण करे हेतु सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

4

11.7 राज्य तथा अन्य संबंधित निकायों के द्वारा सभी नैतिक मानदण्डों का अनुपालन किया जाना चाहिए। राज्य, बाजार केन्द्रित व्यवस्था में इसके अनुपालन व निगरानी हेतु व्यवस्था कायम करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक कदम उठाए, और जनता के समक्ष जानकारी को रखा जाना चाहिए।

11.8 राज्य के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों, उत्पादकों के सामाजिक–आर्थिक स्थायित्व के लिए बाजार तंत्र में छोटे उत्पादकों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

12. निवेश

12.1 राज्य तथा राज्य से संबंधित गैर सरकारी निकायों को सार्वजनिक तथा निजी उद्यमों के वित्तीय निवेश से होने वाले खाद्यान्न सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में जवाबदेह अभिशासन के तहत एक जवाबदेह वित्तीय–निवेश को प्रोत्साहित करते हुए दीर्घकालिक कृषि उत्पादन के माध्यम से आय के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। राज्य द्वारा विभिन्नताओं वाले कृषि तंत्र के स्थापना के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए राज्य के

द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, दायित्वों तथा प्रस्तावों के अनुरूप स्थापित मानकों का पालने करते हुए ही सुरक्षित निवेश का मार्ग अपनाया जाना चाहिए।

12.2 विकासशील देशों में छोटे किसानों व उत्पादकों के द्वारा किये जाने वाले कृषि निवेश के फलस्वरूप गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय लचीलापन और पोषण तत्वों की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होती है। इसी दृष्टिकोण से राज्य के द्वारा छोटे किसानों और उत्पादकों के समर्थन में सार्वजनिक व निजी उद्यमों के द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

12.3 संसाधनों पर स्वामित्व में अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा में वित्तीय निवेश सदैव ऐसी प्रासंगिक राष्ट्रीय नीतियों के तहत ही किया जाना चाहिए जो मजबूती के साथ सामाजिक–आर्थिक विकास और दीर्घकालिक मानव विकास के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करता है।

12.4 जवाबदेह वित्तीय निवेश की भूमिका, मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए पर्यावरणीय क्षति और विस्थापन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा तंत्र मुहैया कराने की है। इस तरह के निवेश, छोटे उत्पादनों व किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए उनके स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिगत होना चाहिए। ऐसे निवेशों की दिशा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप गरीब तथा वंचित समर्थक, देश के तथा लोगों के हितों के अनुरूप जीविकोपार्जन के अवसरों के विस्तार, सामाजिक–आर्थिक टिकाऊ विकास के प्रोत्साहन, स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन तंत्र के प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास में योगदान, स्थानीय समुदाय को सहायता, भूमि, मत्स्य व वनसंपदा के दीर्घकालिक उपयोग तथा गरीबी उल्मूलन के व्यापक उद्देश्यों को हासिल करने की ओर होना चाहिए।

12.5 राज्य के द्वारा राष्ट्रीय तथा स्थानीय संदर्भों में जनभागीदारी तथा जनसहमति के आधार पर वित्तीय निवेश की प्रकृति, सीमा तथा शर्तों को तय किया जाना चाहिए जो लोगों के स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध न हो।

12.6 बड़े वित्तीय निवेशों के परिप्रेक्ष्य में संभावित मानव अधिकार, जीविकोपार्जन, खाद्यान्न सुरक्षा और पर्यावरणीय क्षति के सापेक्ष राज्य की भूमिका, पर्याप्त सुरक्षा तंत्र मुहैया कराने की है। इन परिस्थितियों में संसदीय प्रक्रिया तथा जनसहमति के आधार पर ही अधिकतम भूमि व नैंसर्गिक संपदा के हस्तांतरण की सीमायें तय की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा ऐसे नये प्रारूपों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो बड़े वित्तीय निवेश की तुलना में स्थानीय किसानों और उत्पादकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हो।

12.7 आदिवासी क्षेत्र तथा समुदाय के बीच होने वाले निवेश की परिस्थितियों में राज्य की भूमिका है कि वह आदिवासी अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के घोषणापत्र (169) के अनुरूप राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ही निवेश की अनुमति प्रदान करे। ऐसा करते हुए आदिवासी तथा अन्य समुदाय से चर्चा व सहमति के आधार पर उनका पूर्ण विश्वास अर्जित किया जाना चाहिए (पैराग्राफ 9.9 के अनुसार)। इस स्वैच्छिक दिशा– निर्देश के सिद्धांतों के आधार पर ही वित्तीय निवेश को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

12.8 इस स्वैच्छिक दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य के द्वारा निवेश के संदर्भ में नीतियों का निर्धारण, प्रकाशन तथा प्रसारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए पर्यावरण के टिकाऊ उपयोग, खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ाने वाले तथा जवाबदेही निवेश को प्रोत्साहित करने वाले मानक तय किये जाने चाहिए। बड़े वित्तीय निवेश के सहमति पत्रों पर उन कानूनों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो कि राज्य तथा निवेशक के अधिकारों और दायित्वों का बयान करते हो। ऐसे सहमति पत्रों को राष्ट्रीय कानूनी संरचनाओं और निवेश–संहिता के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

4

12.9 राज्य के द्वारा संसाधनों में स्वामित्व के अधिकारों के दृष्टिगत इन स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रावधान सुनिश्चत किया जाना चाहिए, जिनमें संभावित अधिग्रहण तथा सहमति पत्रों का ध्यान रखा जाए। विशेष रूप से स्वामित्व के अधिकारों तथा संबंधित अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। राज्य का दायित्व है कि वह प्रत्येक लोगों, परिवारों, समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में बताये तथा निर्णय की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे तथा आवश्यक होने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी सहायता उपलब्ध कराये।

12.10 वृहत निवेश की परिस्थितियों में राज्य के द्वारा स्वतंत्र निकायों के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा, स्वामित्व के अधिकारों, पर्याप्त भोजन के अवसर, जीविकोपार्जन तथा पर्यावरण से जुड़े पक्षों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों व परिणामों का आंकलन किया जाना चाहिए। इस कड़ी में रुढ़िजन्य तथा अनौपचारिक स्वामित्व के अधिकारों और उनके दावों को पूरी तटस्थता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यह प्रकिया, इस स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के अनुपालन से की जा सकती है। राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वृहत निवेशों के सापेक्ष लोगों के स्वामित्व के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

12.11 जिन पक्षों से निवेश के लिए समझौता किया जा रहा है उन्हें व्यापक दस्तावेज तथा जानकारी मुहैया की जानी चाहिए ताकि भेदभाव–रहित व लैंगिक–समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निवेशक और प्रभावित पक्ष को पूर्ण जानकारी हो।

12.12 किन्ही भी परिस्थितियों में निवेश के कारण खाद्यान्न असुरक्षा तथा पर्यावरणीय क्षति नहीं होनी चाहिए। निवेशक का दायित्व, राष्ट्रीय कानूनों तथा कर्त्तव्यों के दायरों में स्वामित्व के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए जैसा कि इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश में उल्लेखित है।

12.13 निवेश के सन्दर्भ में जो व्यवसायिक संस्थान अपनी सेवायें प्रदान कर रहा हो उसे भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा पर स्वामित्व के अधिकारों को पूरे लगन से समझना और स्वीकार करना चाहिए तथा उसके अनुसार ही अपनी सेवायें प्रदान करना चाहिए भले ही इसके लिए विशेष निवेदन न हो।

12.14 राज्य तथा संबंधित पक्षों का दायित्व है कि वह निवेश के समझौते के सापेक्ष क्रियान्वयन तथा निगरानी तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सुधार हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए स्वामित्व के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सभी संभावित कदम उठाये जाने चाहिए।

12.15 जब स्वयं राज्य के द्वारा दूसरे देशों में वित्तीय निवेश किया जा रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में राज्य के द्वारा क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व मानकों के अनुरूप अपने दायित्वों का वहन करते हुए खाद्यान्न सुरक्षा और संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों के लिए रक्षात्मक प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

13. भूमि समेकन तथा अन्य सुधारों की प्रक्रियायें

13.1 टिकाऊ ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के द्वारा भूमि स्वामी की सहमति से भूमि का समेकन अथवा भूमि के एक भाग का समेकन संभावित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य के द्वारा सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, मानकों और दायित्वों के अनुरूप स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों के अनुपालन करते हुए ही भूमि समेकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का उपयोग वैधानिक–समायोजन के लिए सभी संभावित व संबंधित पक्षों के मध्य समन्वयन से किया जाना चाहिए।

13.2 जहां संभव हो, राज्य के द्वारा भूमि समेकन की प्रक्रिया का संचालन करते हुए एक ऐसा भूमि–कोष स्थापित किया जाना चाहिए जो अधिग्रहित अथवा समेकित भूमि को निर्दिष्ट लाभार्थी को आबंटित कर सके।

13.3 जहां संभव हो, सरकारी तथा निजी परियोजनाओं के लिए निजी भूमि अधिग्रहण और भूमि समेकन के माध्यम से भूमि–कोष की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा भूमि–कोष का उपयोग छोटे किसानों तथा उत्पादकों को यह भूमि, मुआवजे के रूप में आबंटित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें उत्पादन को बनाये रखने अथवा बढ़ाने में मदद मिले।

13.4 जिन वन क्षेत्रों तथा खेतों में छोटे किसानों के स्वामित्व की भूमि कई टुकड़ों में बिखरी हुई हो तथा जिसके कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो रही हो वहां राज्य के द्वारा भूमि समेकन को प्रोत्साहित करते हुए कृषि के संभावित नुकसानों को न्यूनतम कर सकता है अथवा बहुफसलीय तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए सिंचाई, सड़क तथा आवासीय क्षेत्र के विस्तार में एकीकृत कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। साथ ही भविष्य में होने वाले भूमि के और अधिक बंटवारे अथवा विभाजन को रोकते हुए निवेश की नई संभावनाओं का विकास किया जाना चाहिए।

4

13.5 राज्य के द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर रणनीति तथा समायोजना के तरीकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसी रणनीतियाँ अनिवार्य रूप से टिकाऊ सामाजिक–आर्थिक व पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप तथा लैंगिक–संवेदनशीलता पर आधारित होना चाहिए। समायोजन के तरीके का उद्देश्य और सिद्धांत ऐसी रणनीतियों पर आधारित होनी चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, छोटे किसान तथा उत्पादक संगठनों, मछुआरों, वनाश्रित समाज तथा शैक्षिण संस्थानों के ज्ञान में अभिवृद्धि करे तथा सभी संबंधित पक्षों की क्षमता का विकास करें। इस दिशा में कानूनों का निर्धारण, कम लागत वाले तरीकों के निष्पादन से कृषि क्षेत्र के उत्पादन व उपयोग बढ़ाये जाने की ओर होना चाहिए।

13.6 राज्य के द्वारा उन समस्त परियोजनाओं में सुरक्षात्मक प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो समायोजन अथवा समेकन के अन्तर्गत है। परियोजना से प्रभावित प्रत्येक पक्ष को पर्याप्त जानकारी, उपयोग की जाने वाली स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। आदिवासी समाज के सन्दर्भों में उनके अधिकारों के दृष्टिगत नियोजन किये जाने चाहिए। पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम करने के उद्देश्य से आदर्श भूमि प्रबंधन, सुधार तथा बढ़िया तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. स्वामित्व के अधिकारों की बहाली

14.1 जहां संभव हो राज्य के द्वारा राष्ट्रीय संदर्भों के दृष्टिगत भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा पर लोगों के स्वामित्व के अधिकारों की बहाली की जानी चाहिए। इस संबंध

में राज्य द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों तथा दायित्वों के आधार पर मानकों के अनुरूप स्वामित्व के अधिकारों की बहाली की प्रक्रिया का संपादन किया जाना चाहिए।

14.2 जहां संभव हो सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से मूल संसाधनों की बहाली संबधित समुदाय अथवा उनके वंशजो के अधिकार क्षेत्र में ही होना चाहिए। जहां मूल संसाधनों की वापसी संभव न हो उन परिस्थितियों में राज्य के द्वारा उचित मुआवज़ा अथवा समतुल्य भूमि सभी प्रभावित परिवारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

14.3 जहां संभव हो, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के अनुरूप आदिवासी समाज के संसाधनों और तत्संबंधी अधिकारों की बहाली की जानी चाहिए।

14.4 राज्य के द्वारा लैंगिक संवेदनशील नीतियों व कानूनों का निर्धारण किया जाना चाहिए। बहाली संबंधी प्रक्रियाओं की सूचना सभी संभावित भाषाओं में किया जाकर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार होना चाहिए। इस संबंध में सभी दावाकर्त्ताओं को कानूनी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध किया जाना चाहिए। राज्य यह सुनिश्चित करे कि बहाली की प्रक्रिया, व्यवस्थित रूप से संपादित की जाए। जहां आवश्यक हो वहां बहाली के पश्चात संबंधित पक्ष को सहायता सेवायें भी उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। बहाली संबंधी कार्य की प्रगति रिपोर्ट का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

15. पुनर्वितरणात्मक सुधार

15.1 पुनर्वितरण सुधारों के माध्यम से ग्रामीण विकास तथा भूमि सुधार के व्यापक उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय संदर्भों में जहां तक संभव हो राज्य के द्वारा, सार्वजनिक भूमि के वितरण, निजी भूमि की जब्ती, सार्वजनिक उद्देश्य से मत्स्य तथा वनसंपदा के संरक्षण और विकास जैसे संवेदनशील बाजार केन्द्रित व्यवस्था स्थापित किया जाना चाहिए।

15.2 पुनर्वितरण सुधारों के दृष्टिकोण से राज्य के द्वारा भूमि हदबंदी लागू करना चाहिए।

15.3 पुनर्वितरण सुधारों के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के समान अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संदर्भों में पुनर्वितरण सुधारों के द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन का प्रयास

करते हुए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समानता के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 15 के अनुरूप)।

15.4 जहां राज्य, पुनर्वितरण सुधारों को लागू करना चाहता है वहां सुधारों का मार्ग, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, दायित्वों और प्रस्तावों के अनुरूप होना चाहिए। इस संबंध में स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत ही कदम उठाने चाहिए। राज्य द्वारा सभी पक्षों की आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करते हुए संवाद के माध्यम से यथोचित विकास के मार्ग का निर्धारण करना चाहिए। निर्धारण की प्रकिया को राज्य, सभी पक्षों जैसे समाजसेवी संगठनों, निजी क्षेत्र, छोटे किसान और उत्पादकों के संगठन तथा अन्य पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर सुनिश्चित करे। जहां समुदाय के भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों को छोड़ा है उन्हें तत्काल समतुल्य मुआवजा दिया जाना चाहिए।

15.5 राज्य, पुनर्निर्माण सुधारों के नियोजन के उद्देश्य को स्पष्टतः रेखांकित करे और यह बताये कि भूमि–संपदा ऐसी पुनर्वितरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पुनर्निर्माण सुधारों के नियोजन के व्यापक दायरों में आदिवासी, युवा, महिला, वंचितवर्ग, घुमंतु, छोटे किसान और उत्पादक, चरवाहे, परंपरागत रूप से वंचित समूह, झुग्गीबस्तियों के रहवासी, भूमिहीन आदि के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

4

15.6 जहां राज्य, पुनर्निर्माण सुधारों को लागू करना चाहता है। वहां संबंधित नीतियों और कानूनों का निर्धारण सभी पक्षों में परस्पर भागीदारी के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में राज्य यह सुनिश्चित करे कि भूमि, वन तथा मत्स्य संपदा से अर्जित आय के द्वारा संबंधित पक्ष एक सम्मानजनक जीवन स्तर हासिल करने की पात्रता रखे। पुनर्निर्माण सुधारों का लाभ सभी पक्षों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के द्वारा ऐसी नीतियों में आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए।

15.7 राज्य के द्वारा पुनर्निर्माण सुधारों के लाभ के दृष्टिकोण से स्वामित्व के अधिकारों तथा खाद्यान्न सुरक्षा के द्वारा पर्याप्त भोजन के अधिकार, जीविकोपार्जन तथा पर्यावरण के अधिकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा की जानी चाहिए। यह समीक्षा इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के मानकों के अनुरूप सभी की भागीदारी के आधार पर होना चाहिए। इस समीक्षा का उपयोग, सुधारों की प्रक्रिया को सर्वजन तक पहुंचाने के निर्धारण के रूप में संपादित किया जाना चाहिए।

15.8 पुनर्निर्माण सुधारों के तहत भूमि सुधारों के साथ–साथ ऋण उपलब्धता, फसल बीमा, उत्पादन के साधनों की उपलब्धता, तकनीकी सहायता, विस्तार सेवायें, कृषि विकास तथा आवासीय सुविधा आदि मुहैया कराने की जवाबदेही भी राज्य की होनी चाहिए। इस संबंध में राज्य द्वारा भूमि तथा अन्य संबंधित सुधारों के लिए पर्याप्त बजट का आकलन करते हुए पर्याप्त राशि उपलब्ध की जानी चाहिए।

15.9 राज्य के द्वारा पुनर्निर्माण सुधारों की प्रक्रिया को लोगों की पूर्ण भागीदारी के साथ पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सुधारों से प्रभावित प्रत्येक पक्ष को अनुच्छेद–16 के अनुसार न्यायोचित मुआवजा राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उपलब्ध किया जाना चाहिए। विशेषतौर पर महिलाओं को जानकारी दी जानी चाहिए। पुनर्निर्माण सुधार के लिए लाभार्थियों का चयन, सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। राज्य, पूर्ण पारदर्शिता, भागीदारी और जवाबदेही निभाते हुए सुधारों की प्रक्रियाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त रखे।

15.10 राज्य के द्वारा पुनर्निर्माण सुधारों के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन की जानी चाहिए। पैराग्राफ 15.8 के अनुरूप सुधार की प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष की समीक्षा के आधार पर राज्य के द्वारा पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं को सुधार करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने में किया जाना चाहिए।

16. अधिग्रहण और मुआवज़ा

16.1 राज्य के द्वारा राष्ट्रीय संदर्भों में राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के अनुरूप केवल जनहित में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा का स्वामित्वहरण किया जाना चाहिए। राज्य, इस जनहित को बेहद स्पष्ट रूप से कानूनों में परिभाषित करे, जिसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सके। राज्य द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस समुदाय के संसाधनों का स्वामित्वहरण किया गया है उन्हें न्यायोचित मुआवजा राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों के अनुरूप तत्काल दिया जाए।

16.2 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिग्रहण की प्रक्रिया व नियोजन पूर्णतः पारदर्शी और लोगों की भागीदारी के साथ हो। प्रत्येक प्रभावित पक्ष को सभी स्तरों पर पूरी सूचना दी जानी चाहिए। संबंधित पक्ष से इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश के अनुसार परामर्श किया जाना चाहिए तथा वैकल्पिक तरीकों पर भी चर्चा करते हुए ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए कि जीविकोपार्जन की हानि, न्यूनतम ही रहे। राज्य उन परिस्थितियों में विशेष रूप से संवेदनशील रहे जहां भूमि,

मत्स्य तथा वनसंपदा के स्वामित्वहरण से वंचित समुदाय के सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय पक्ष प्रभावित हो रहे हों।

16.3 राज्य के द्वारा प्रत्येक प्रभावित पक्ष को बेहतर मूल्य आधारित त्वरित मुआवजा राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुआवज़े का प्रारूप नकद, वैकल्पिक भूमि अथवा दोनों का समन्वित अंश हो सकता है।

16.4 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी निकाय में सक्षम मानव, भौतिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य क्षमतायें हों।

16.5 जहां परियोजना में परिवर्तन के कारण अधिग्रहित संसाधनों का उपयोग न किया जा रहा हो वहां इन संसाधनों पर प्रथम अधिकार मूल स्वामी तथा वंचित वर्गों को दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का संपादन वंचित वर्ग के हितों के लिए किया जाना चाहिए।

16.6 इस प्रक्रिया को स्पष्ट तथा जवाबदेह बनाने के लिए विकेन्द्रित, पारदर्शी, वास्तविक मूल्यांकन, विकेन्द्रित सेवाओं तथा अपील के अधिकार जैसे मानकों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

4

16.7 जहां सार्वजनिक हितों के लिए भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा का अधिग्रहण किया जा रहा हो। वहां राज्य की भूमिका, प्रभावित पक्ष के मानव अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान का होना चाहिए।

16.8 स्वामित्वहरण की प्रक्रिया में भूमि उपयोगिता के परिवर्तन से समुदाय विशेष के वंचित होने की दशा में राज्य का दायित्व है कि प्रभावित पक्ष से परामर्श के आधार पर सभी संभावित विकल्प की तलाश करे जिससे इस स्वैच्छिक दिशा–निर्देश की भावना के अनुरूप स्वामित्वहरण की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

16.9 किन्ही भी परिस्थितियों में स्वामित्वहरण का परिणाम, मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए लोगों को भूमिहीन, आवासहीन या वंचित बनाने की ओर नहीं होना चाहिए। बल्कि इन परिस्थितियों में राज्य की भूमिका–वैकल्पिक आवास, उपयोगी भूमि में पुनर्वास की होनी चाहिए ताकि भूमि, मत्स्य और वनसंपदा पर लोगों के अधिकार स्थापित रहे।

अध्याय 5

स्वामित्व के अधिकारों का प्रशासन

इस अध्याय में भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा पर अधिकारों के स्वामित्व के प्रशासन तथा उनके स्वामित्व के अधिकारों का लेखांकन, मूल्यांकन, कर प्रबंधन, नियामक तंत्र, नियोजन, समस्या निवारण तंत्र तथा संबंधित सीमाओं के पक्षों आदि का वर्णन किया गया है।

17. स्वामित्व के अधिकारों का लेखांकन

17.1 राज्य के द्वारा पंजीयन, मानचित्रीकरण तथा लाइसेंस की प्रक्रियाओं के माध्यम से निजी तथा सामुदायिक स्वामित्व के अधिकारों को दर्ज करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से आदिवासी तथा अन्य समुदायों के रुढ़िजन्य स्वामित्व के अधिकार, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, राज्य पोषित स्वामित्व के अधिकार तथा स्थानीय निकाय व बाजार के अधीन स्वामित्व के अधिकार के सन्दर्भों में इस प्रक्रिया का संचालन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में दर्ज की गई प्रत्येक जानकारी जो कि संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों से संबंधित है उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित और प्रसारित किया जाना चाहिए।

17.2 स्वामित्व के अधिकारों को दर्ज किए जाने वाली प्रक्रिया और तंत्र उपलब्ध मानव तथा वित्तीय संसाधनों के अनुरूप किया जाना चाहिए। ऐसी प्रणालियों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे आदिवासी और वंचित समुदाय के निजी तथा रुढ़िजन्य स्वामित्व के अधिकारों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जा सके। राज्य के द्वारा एकीकृत नियोजन और स्थानिक सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए पूरी पारदर्शिता बरतते हुए स्थानिक नियोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रभावी सूचनातंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस एकीकृत सूचना दर्ज किये जाने की व्यवस्था में आदिवासी, राज्य के सार्वजनिक तथा निजी उपक्रम आदि को शामिल किया जाना चाहिए। यदि आदिवासी तथा अन्य समुदाय के स्वामित्व के अधिकारों को दर्ज किया जाना संभव नहीं हो तो इन विशेष परिस्थितियों में अन्य प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारों के पंजीयन का निषेध किया जाना चाहिए।

17.3 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सभी पक्षों को अपने स्वामित्व के अधिकारों को दर्ज कराने की पात्रता और अवसर हों। जहां संभव हो महिलाओं, वंचित समुदायों तथा गरीबों तक पहुंचकर उनके अधिकारों को दर्ज करने हेतु पंजीयन सेवा प्रदाय केन्द्र, चलित केन्द्र स्थापित किये जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक कार्यकत्ताओं, वकीलों, नोटरी, सर्वेक्षणकर्त्ता, सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि को शामिल किया जाकर प्रत्येक सूचना सार्वजनिक स्तर पर प्रसारित की जानी चाहिए।

17.4 क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह निकायों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक व पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए ताकि समय व धन की बचत की जा सके। इसके लिए स्थानिक निकायों के माध्यम से स्थानिक आवश्यकताओं के अनुरूप, कार्य का संपादन किया जाना चाहिए। स्थानिक निकायों के द्वारा अधिकारों के साथ–साथ प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारों और अतिव्यापी अधिकारों की पहचान की जानी चाहिए। यह जानकारी स्थानीय अभिशासन, राज्य के निकायों के समक्ष उपलब्ध होना चाहिए ताकि उनकी सेवाओं में सुधार हो सके। इस सूचना को राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप वर्गीकृत रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।

17.5 राज्य के द्वारा इन सभी सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए। सूचना के निजता के दायरे में भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों पर बंदिश रखते हुए इसे सभी स्तर पर प्रकाशित व प्रसारित किया जाना चाहिए।

18. मूल्यांकन

5

18.1 राज्य के द्वारा ऐसी पद्धतियां विकसित की जानी चाहिए जिससे स्वामित्व के अधिकारों का मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों जैसे बाजार के संचालन, ऋण की उपलबधता, निवेश की वजह से स्वामित्व में परिवर्तन, कराधन, बहाली आदि की दशा में न्यायपूर्ण व सामयिक तरीकों से किया जा सके। यह पद्वतियां, टिकाऊ विकास के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रोत्साहन की दिशा में होनी चाहिए।

18.2 मूल्यांकन से संबंधित कानूनों और नीतियों के दायरे में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों जैसे गैर–बाजार तत्वों को भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

18.3 राज्य ऐसी नीतियों और कानूनों का संपादन करे जो मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ायें। विक्रय के संभावित मूल्य तथा अन्य जानकारियां भी दर्ज

की जानी चाहिए जिनके माध्यम से विश्वसनीय मूल्यांकन और विश्लेषण का आधार तैयार हो सके।

18.4 राज्य के द्वारा मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मानक बनाए जाने चाहिए और इनकी जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए, जिसका व्यापक उपयोग सरकारी, वाणिज्यिक तथा अन्य उद्देश्यों से किया जा सके। यह राष्ट्रीय मानक, प्रासंगिक और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य होने चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित कर्मचारियों को मानकों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

18.5 मूल्यांकन से संबंधित सभी सूचनायें सार्वजनिक की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार रोकने की दृष्टि से कंपनियों के वित्तीय तंत्र, सार्वजनिक प्रशासन, मुआवजा तंत्र आदि से संबंधित सभी स्तरों पर सूचनाएं उपलब्ध हों तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

19. कर-निर्धारण

19.1 व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए कर–निर्धारण करना राज्य के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। कर–निर्धारण की प्रक्रिया से राज्य, सट्टेबाजी तथा भूमि की जमाखोरी को रोकते हुए निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकती है। संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में परिसंपत्तियों के पंजीयन तथा उनके विक्रय मूल्य की घोषणा के द्वारा सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय दृष्टि से वांछित वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए।

19.2 स्वामित्व के अधिकारों पर कर–निर्धारण के लिए राज्य के द्वारा आवश्यक नीति, कानून तथा संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। कर संबंधी नीतियों और कानूनों का उपयोग निचले तथा स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के विकास तथा सेवाओं के प्रदाय के लिए किया जा सकता है।

19.3 राज्य के द्वारा, कर–निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी दक्षता तथा पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। कर हमेशा उचित मूल्यों के निर्धारण पर निर्भर होना चाहिए। इस संबंध में मूल्यांकन तथा कर की संभावित राशि की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। कर दाताओं को अपील का अधिकार देना राज्य की जवाबदेही है। राज्य, कर निर्धारण के प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के सभी संभावित प्रयास करें जो पारदर्शिता तथा संसाधनों के मूल्यपरक मूल्यांकन से हासिल किया जा सकता है।

20. विनियमित स्थानिक योजना

20.1 राज्य के द्वारा विनियमित स्थानिक योजना के माध्यम से दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास की दिशा में नियोजन, निगरानी तथा निर्धारित मानदण्डों को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इसकी दिशा, इस स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के मानदण्डों के मुताबिक भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा पर स्वामित्व के अधिकारों से सामंजस्य बैठाने की भूमिका वहन भी राज्यों को करना चाहिए।

20.2 विनियमित स्थानिक योजना के लिए राज्य के द्वारा लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनों और नीतियों का निर्धारण जन भागीदारी और सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए। जहां संभव हो, रुढ़िजन्य संसाधनों के स्वामित्व की प्रक्रियाओं और तत्संबंधी निर्णय को क्षेत्रीय विकास तथा नियोजन में प्रमुखता से स्थान देना चाहिए ताकि आदिवासी अन्य समुदायों की निर्णय प्रक्रिया को सम्मान दिया जा सके।

20.3 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनियमित स्थानिक योजना में भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के उपयोग तथा उनके अर्न्तसंबंधों को यथोचित मान्यता दी जाय। राज्य के द्वारा सार्वजनिक, सामुदायिक और निजी हितों को मान्यता देते हुए इन्हें प्राथमिकता के क्रम में समाहित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर ग्रामीण, शहरी, घुमंतु, कृषि तथा पर्यावरण जैसे विविध उपयोगों के अनुरूप विनियमित स्थानिक योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। स्थानिक योजना के अन्तर्गत स्वामित्व के भी अधिकारों, सावधिक तथा दुहरे द्विपक्षीय अधिकारों को भी समायोजित किया जाना चाहिए। स्थानिक नियोजन में संभावित खतरों की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर स्थानिक योजना के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

5

20.4 स्थानिक योजना के निर्धारण की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर जनभागीदरी को प्रोत्साहित करते हुए नियोजन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में आदिवासी तथा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले समुदायों के हितों तथा प्राथमिकताओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो नियोजन में इन समुदायों को पर्याप्त सहयोग लिया जाना चाहिए। क्रियान्वयन करने वाले तंत्र के द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार अंतिम स्थानिक योजना में जन भागीदारी का समायोजन किया गया है। राज्य के द्वारा इस प्रक्रिया में भ्रटाचार निवारण की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षात्मक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि स्थानिक नियोजन में नियामक के माध्यम से परिवर्तन को रोका जा सके। राज्य द्वारा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी तंत्र के निगरानी के परिणामों को सार्वजनिक रूप से रखा जाना चाहिए।

20.5 जलवायु परिवर्तन तथा खाद्यान्न सुरक्षा के चुनौतियों के समक्ष भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के दीर्घकालिक प्रबंधन और कृषि–पर्यावरणीय परिक्षेत्र आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य के द्वारा स्थानिक नियोजन की रूपरेखा का निर्धारण और संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

21. स्वामित्व के अधिकार पर विवादों का समाधान

21.1 राज्य का दायित्व है कि वह संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों के विवादों की परिस्थितियों में सक्षम और निष्पक्ष न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायों की उपलब्धता, वहन करने योग्य तथा प्रभावी माध्यम के रूप में उपलब्ध करवाये। इस प्रक्रिया में न्याय प्राप्ति के तथा समाधान हासिल करने के वैकल्पिक तरीकों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपील का अधिकार, न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग हो। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवादों की परिस्थितियों में समस्या निवारण तंत्र सबसे प्रारंभिक स्तर पर ही मुहैया हो, जो क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह निकाय अथवा कोई बाहरी निकाय हो सकती है। यह समस्या निवारण निकाय सभी महिला व पुरुष के पहुंच में होना चाहिए जो स्थानीय भाषा, तरीकों और स्थान के सापेक्ष सामान्य जन के हितों की रक्षा कर सके।

21.2 राज्य के द्वारा स्वामित्व, के अधिकारों पर विवादों की परिस्थितियों में विशेष न्यायाधिकरण अथवा निकायों का गठन किया जाना चाहिए। गठन की प्रक्रिया में न्यायिक विशेषज्ञों की मदद विशेष तकनीकी मुद्दों पर ली जा सकती है। राज्य को ऐसे विशेष न्यायाधिकरणों की मदद स्थानिक नियोजन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन के लिए भी लिया जाना चाहिए।

21.3 राज्य के द्वारा न्यायिक समाधान के वैकल्पिक प्रारुपों को भी विकसित व मजबूत किया जाना चाहिए। विशेषतौर पर स्थानीय स्तर पर, जहां रुढ़िजन्य स्वामित्व के अधिकारों और उसके व्यवस्थापन पर विवाद की स्थिति हो वहां निष्पक्ष, विश्वसनीय, सबकी पहुंच के भीतर और भेदभाव रहित, तत्पर वैधानिक समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

21.4 राज्य के द्वारा क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह निकायों की भूमिका का निर्धारण समस्या निवारण के लिए किया जाना चाहिए। जैसे सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी निकाय, सीमा से जुड़े विवादों पर समस्या निवारण तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है। प्रत्येक दशा में न्याय अथवा समाधान लिखित तौर पर स्पष्ट कारणों के

साथ दिया जाना चाहिए ताकि न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष अपील का अधिकार बरकरार रहे।

21.5 राज्य के द्वारा न्यायिक तथा विवादों के निपटारे के तंत्र को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।

21.6 राज्य का दायित्व, बिना किसी भेदभाव के वंचितों तथा सीमान्त लोगों को कानूनी मार्गदर्शन तथा कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की होनी चाहिए। न्यायिक अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके कर्मचारियों में ऐसी सेवायें प्रदान करने की पर्याप्त क्षमता और तत्परता है।

22. सीमाओं के विवाद और मामले

22.1 राज्य द्वारा सीमान्त क्षेत्रों में भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों में प्रभावित पक्षों के लिए यथोचित समस्या निवारण तंत्र की स्थापना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा उठाये गये कदम राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों, प्रस्तावों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। दो राष्ट्रों के सीमाओं पर इस तरह के विवादों की परिस्थितियों में प्रत्येक राज्य की भूमिका अपने अधीन क्षेत्र में पलायनकर्त्ताओं के हितों और उनके स्वामित्व के अधिकारों के संरक्षण की होनी चाहिए।

22.2 राज्य तथा अन्य पक्षों का यह दायित्व है कि वह दो राष्ट्रों के मध्य सीमाओं में उन विवादों को सुलझाने का प्रयास करे जो वंचितों के स्वामित्व के अधिकारों को प्रभावित करता है जैसे– सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले मौसमी चरण में छोटे मछली मारने वाले समुदायों के अधिकार जिनका जीविकोपार्जन इन सीमाओं के नजदीक होता है।

22.3 राज्य के द्वारा इस संबंध में कानूनी मानदण्डों को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों, प्रस्तावों और दायित्वों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। जहां संभव हो वहां क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावित वर्ग के साथ संवाद स्थापित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध निकायों के माध्यम से समाधान के प्रयास होना चाहिए। प्रभावित पक्ष के हक में पैराग्राफ 4.8 के तहत राज्य को ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए।

अध्याय 6

जलवायु परिवर्तन तथा आपदा के प्रति अनुक्रिया

यह अध्याय जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा तथा उससे उत्पन्न विवादों की परिस्थितियों में भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों के विषय से संबंधित है।

23. जलवायु परिवर्तन

23.1 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रासंगिक सहमतियों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसे कानूनों, नीतियों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाए जिसके द्वारा वंचित समुदाय, किसानों, छोटे उत्पादकों तथा अन्य प्रभावित लोगों अथवा प्रभावित हो सकने वाले समुदायों के भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

23.2 राज्य के द्वारा सभी प्रभावित और संभावित पक्षों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन से विस्थापित व प्रभावित लोगों के लिये कार्य संपादित किया जाना चाहिए जिससे उनकी तथा उनके संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विस्थापितों के लिए निर्देशित वैकल्पिक संसाधन अथवा प्रस्तातिव जीविकोपार्जन का तंत्र संबंधित समुदाय के मध्य विवादों का कारण न बने। राज्य के द्वारा छोटे द्वीपों में रहने वालों के लिए विशेष सहायता कार्य का संपादन किया जाना चाहिए।

23.3 संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों से संबंधित प्रत्येक पक्ष जैसे किसान, छोटे उत्पादक, वंचित समुदाय आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को न्यूनतम तथा रुपांतरण करने वाले कार्यक्रमों का संपादन राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

24. प्राकृतिक आपदा

24.1 राज्य तथा राज्य जुड़े समस्त निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब प्राकृति आपदा से सुरक्षा के लिए उपाय किये जा रहे हों तब भूमि, मत्स्य तथा

वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों को सुरक्षित रखने के दायित्वों का वहन किया जाए। स्थानिक नियोजन तथा नियामक निकायों के कार्यों के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा और उसके संभावित प्रभावों को दूर करने के प्रयासों पर कार्य किया जाना चाहिए।

24.2 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा संपादित सभी कार्य व निर्णय राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों, दायित्वों के ही अनुरूप हैं तथा उनका यथारूप अनुपालन किया जाए। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रतिपादित विस्थापितों तथा शरणार्थियों के संपत्तियों की बहाली तथा आवास के सिद्धांतों (पिन्हिरो सिद्धांत) के साथ ही प्राकृतिक आपदा संबंधी मानव घोषणा के मानकों के अनुरूप संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

24.3 राज्य के द्वारा आपदा–निराकरण तथा संबंधित कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों के विषय का समावेश अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन सूचनाओं के लिए सभी संबंधित पक्षों से संवाद करते हुए इस स्वैच्छिक दिशा निर्देश के मानकों के अनुरूप जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। यह व्यवस्था इस प्रकार लचीली होनी चाहिए कि अधिकार प्राप्त समुदाय स्थानिक इकाई के अनुरूप अपने संसाधनों के अधिकारों की प्रतिस्थापना कर सके। राज्य के द्वारा वैकल्पिक पुर्नस्थापना बसाहट के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाना चाहिए जहां प्रभावित पक्षों को बसाया जा सके साथ ही संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों की बहाली भी की जा सके।

24.4 राज्य, विशेष आपदा अथवा संकटकाल में भी संपदाओं पर स्वामित्व के अधिकारों के प्रति सजग रहे। प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों में विस्थापित समुदायों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भूमि, मत्स्य तथा वन संसाधन किसी अन्य समुदाय के अधिकारों तथा जीविकोपार्जन के संसाधनों की अवहेलना न करता हो, यह राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विस्थापित व्यक्ति अथवा समुदाय के अधिकारों को सम्मानजनक तरीके से मान्य करते हुए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। स्वामित्व के अधिकारों के संबंध में तथा उसके वैध–अवैध उपभोग की सूचना सभी प्रभावित पक्षों को दी जानी चाहिए।

6

24.5 राज्य तथा समस्त संबंधित पक्षों को पुनर्निमाण की प्रक्रिया में स्वामित्व के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अस्थायी रूप से विस्थापित लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से उनके मूलस्थान पर लौटने की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। जहां स्थानिक इकाई तथा भूमि की सीमाओं का पुनर्निधारण किया जा रहा हो वहां इस स्वैच्छिक दिशा निर्देश के मानकों के अनुरूप परस्पर सहमति बनाई जानी चाहिए। जहां मूल स्थान पर लौटना संभव न हो वहां विस्थापितों को

स्थायी तौर पर अन्य स्थानों पर बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें इस बात का पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए कि विस्थापितों के पुनर्वास की प्रक्रिया में उनके भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के अधिकार और उससे जुड़े जीविकोपार्जन के अवसर अन्य किसी समुदाय के साथ उनके विवादों का कारण ना बने, यह सुनिश्चित करना राज्य की जवाबदेही होनी चाहिए।

25. भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के स्वामित्व के अधिकारों के संबंध में विवाद

25.1 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों के विषय में विवादों के पूर्व, विवादों के दौरान तथा विवादों के पश्चात् राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के अनुरूप यथोचित समाधान हासिल हो।

25.2 राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों, प्रस्तावों तथा निवारण तंत्रों के अनुरूप ही हैं। राज्य इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रतिपादित विस्थापितों तथा शरणार्थियों की संपत्तियों व अवास की बहाली के सिद्धांत (पिन्हिरो सिद्धांत) के अनुरूप समाधान सुनिश्चित करे। विवाद की स्थिति और उसके पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करते हुए राज्य की भूमिका, प्रभावित पक्ष को स्वामित्व के अधिकार सुनिश्चित करने की होनी चाहिए।

25.3 राज्य तथा सभी संबंधित पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कदम उठाये जाने चाहिए। राज्य का दायित्व है कि विवाद तथा भेदभाव बढ़ाने वाले सभी कारणों को समाप्त करने की दिशा में नीतियों और कानूनों का निर्धारण होना चाहिए। जहां संभव हो वहां राज्य के द्वारा ऐसे रुढ़िगत व स्थानीय प्रारूपों के माध्यम से विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि स्पष्ट, विश्वसनीय, लैंगिक–संवेदनशील, भेदभाव रहित तथा वहन किये जाने योग्य हों; साथ ही भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के विवादों को तात्कालिक रूप से हल कर पाने में सक्षम हों।

25.4 जहां विवाद की स्थिति हो वहां राज्य तथा संबंधित पक्षों का दायित्व है कि वास्तविक व प्रामाणिक स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा करे ताकि अन्य पक्ष द्वारा अधिकारों का हनन न किया जा सके। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों व कानूनों के अनुसार राज्य का दायित्व है कि अपनी सीमाओं के अन्तर्गत हिंसा से अर्जित भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व को मान्यता न दे। शरणार्थी तथा अन्य

विस्थापितों का पुर्नवास इस प्रकार होना चाहिए कि मूल समुदाय के स्वामित्व के अधिकार सुरक्षित रहे। स्वामित्व के अधिकारों के उलंघन की दशा में इसका दस्तावेजीकरण करते हुए यथासंभव समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस तरह के दस्तावेजों को भविष्य में प्रमाणों के बतौर सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग एक संदर्भ पत्रक के रूप में किया जा सके। जहां तक संभव हो इस दस्तावेज में मौखिक इतिहास तथा कथाओं को शामिल किया जाना चाहिए। शरणार्थियों और विस्थापितों को दिये गये अधिकारों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही स्वामित्व के अधिकार और इसके प्रमाणिक उपयोग की जानकारी भी प्रत्येक पक्ष को दी जानी चाहिए।

25.5 विवादों की स्थिति में जहां तक संभव हो, राज्य तथा संबंधित पक्ष इस तरह से स्वामित्व के अधिकरों के विवादों का समाधान सुनिश्चित करे जो सभी संबंधित पक्षों के लिए समानता के आधार पर दूरगामी समाधान के रूप में स्थापित हो सके। जहां प्रभावित पक्ष के लिए भूमि अधिकार की बहाली संभव हो वहां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यू.एन.एच.सी.आर. तथा अन्य प्रासंगिक निकायों के मानदण्डों के मुताबिक विस्थापितों और शरणार्थियों को सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अपने मूल स्थान पर स्वेच्छा से सुरक्षित और स्वाभिमानपूर्वक लौट सकें। बहाली तथा पुनर्वास की प्रक्रिया, लैंगिक–संवेदशीलता की भावना के अनुरूप तथा भेदभाव रहित होना चाहिए। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए ताकि बहाली के लिए सभी पक्षों के दावों को स्वीकार किया जा सके। आदिवासी तथा अन्य समुदायों में स्वामित्व के अधिकारों की बहाली के लिए सूचना के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग भी किया जाना चाहिए।

25.6 जहां बहाली संभव नहीं हो वहां विस्थापितों तथा शरणार्थियों के भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों की बहाली के लिए वैकल्पिक स्थानों पर पुनर्वास होना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में मूल स्थान के समुदायों से संवाद और समझौते के आधार पर ही व्यवस्थापन की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि विवाद की स्थिति को समाप्त किया जा सके। जहां संभव हो वंचितों और विशेष रूप से विधवाओं और अनाथों के स्वामित्व के अधिकारों की बहाली के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

25.7 जहां संभव हो कानूनों और नीतियों को इस प्रकार संशोधित किये जाने चाहिए ताकि विवादों के पूर्व हुए भेदभाव तथा विवादों के बाद हुए भेदभाव का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जहां संभव हो, प्रासंगिक निकायों को पुर्नस्थापित करते हुए आवश्यक सेवाओं तथा स्वामित्व के अधिकारों के लिए जवाबदेह अभिशासन का संचालन किया सके।

अध्याय 7

प्रोत्साहन, क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन

यह अध्याय संसाधनों पर स्वामित्व के अधिकारों के प्रोत्साहन, क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन से संबंधित है।

26.1 इन स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन का दायित्व राज्यों का है।

26.2 इस स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए राज्य के द्वारा बहु–हितग्राही निकाय और प्रक्रिया को स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जानी चाहिए। इस बहु–हितग्राही निकाय का दायित्व उनके अधिकार क्षेत्र में मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन का होगा जिसके आधार पर भूमि, मत्स्य तथा वन संपदा के स्वामित्व के अधिकारों के अभिशासन में सुधार किया जा सके। दीर्घकालिक विकास तथा खाद्यान्न सुरक्षा और पर्याप्त भोजन के राष्ट्रीय संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया, सर्व समावेशी, भागीदारी तथा लैंगिक–संवदेनशीलता के अनुरूप, क्रियान्वयन योग्य, कम लागत वाली तथा टिकाऊ होनी चाहिए। राज्य इस दिशा में अपने दायित्वों का वहन करने के लिए क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सहायता ले सकता है।

26.3 इस स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्य, दक्षिण–दक्षिण गठबंधन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, क्षेत्रीय संगठनों तथा अन्य सहयोगियों की मदद ले सकता है। राज्यों को इस तरह के सहयोग, तकनीकी संयोजन, वित्तीय सहायता, संस्थागत क्षमता विकास, ज्ञान तथा सूचनाओं के आदान प्रदान, अनुभवों के आदान प्रदान, संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों के राष्ट्रीय नीति के निर्माण तथा तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में की जा सकती है।

26.4 इस स्वैच्दिक दिशा निर्देश के क्रियान्वयन के लिए विश्व खाद्यान्न सुरक्षा समिति एक वैश्विक मंच के रूप में उपलब्ध है जहां सभी संबंधित निकायों के द्वारा अनुभवों

को साझा करने तथा क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही स्वैच्छिक दिशा निर्देश की प्रासंगिकता, महत्व तथा प्रभावों की समीक्षा की जा सकती है। इस दिशा में विश्व खाद्यान्न सुरक्षा समिति के सचिवालय तथा सलाहकार समिति के द्वारा के सहयोजन से इस स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के प्रगति की जानकारी दी सकती है तथा उसके आधार पर स्वामित्व के अधिकारों में अभिवृद्धि हो सकती है। इस तरह का रिपोर्ट, सार्वभौमिक और सभी संभावित पक्षों में अनुभवों को साझा करने तथा समस्त पद्धतियों और प्रयोगों से सीखने का बेहतर माध्यम मुहैया कराता है।

26.5 सभी समाजसेवी संगठनों, निजी निकायों तथा संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि इस स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय संदर्भों और प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रोत्साहित करें। सभी संबंधित पक्षों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इस संबंध में सूचनाओं और जानकारियों को प्रसारित करते हुए संसाधनों के स्वामित्व के अधिकारों के जवाबदेह अभिशासन को उन्नतिशील बनायें।

अधिकारों का अभिशासन

संसाधनों के स्वामित्व के अभिशासन के संदर्भों में यह व्यापक दिशा–निर्देश, एक वैश्विक दस्तावेज है जो सरकारों के मध्य परस्पर संवादों और समझौतों के आधार पर तैयार किया गया है। भूमि, मत्स्य तथा वनसंपदा के अधिकार, उपयोग और नियंत्रण के उत्तरदायी अभिशासन के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यह एक स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धान्त है। यह नीतियों, कानूनों तथा संस्थागत ढांचों को उन्नत करने के लिए दिशा–निर्देश है। यह स्वामित्व के अधिकारों के कानूनी और संस्थागत प्रारूप को नियंत्रित करने, स्वामित्व की व्यवस्था के पारदर्शी–प्रशासन की क्षमता बढ़ाने तथा संसाधनों के अभिशासन के संबंध में सार्वजनिक निकायों, निजी प्रतिष्ठानों, स्वैच्छिक संगठनों और लोगों की क्षमता व मजबूती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के संदर्भों में यह स्वैच्छिक दिशा–निर्देश, दीर्घकालिक आर्थिक व सामाजिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन तथा पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

www.fao.org/nr/tenure

I2808Hi/1/06.16